

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

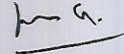
क्रमांक : एफ.4(ई)एस-235/1994/लिंग.नं.5188/अलेसे-III/1238

दिनांक : 22.05.19

कार्यालय आदेश

श्री सतनाम सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 15.03.2019 के आवेदन अनुसार दिनांक 15.06.2019 से 15.07.2019 तक पारिवारिक कारणों से इंग्लैण्ड जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेंगे।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेंगे।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-235/1994/लिंग.नं.5188/अलेसे-III/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 2196 दिनांक 15.03.2019 के क्रम में।
 2. श्री सतनाम सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़।
8. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) के कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)